# फर्द अहकाम

## नियम – 26

अज अदालत :– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, केकडी
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 518/2016
सरकार बनाम ओमप्रकाश वगैरह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. दिनांकित 28.11.2025 पर बहस सुनी गई।<br><br>दौराने बहस, अभियोजन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए कथन किया कि प्रकरण में गवाह पी.ड–3 गोपाल सिंह की मुख्य परीक्षा डेफर है, जिसको परीक्षित करवाया जाना प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त गवाह को तलब किए जाने के आदेश दिए जावे।<br><br>इसके विपरीत, अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश ना कर, सीधे बहस करते हुए निवेदन किया गया कि अभियोजन को पूर्व में पर्याप्त से भी अधिक अवसर दिए जा चुके हैं। उक्त प्रार्थना पत्र केवलमात्र प्रकरण में देरी कारित करने व कमी–पूर्ति करने हेतु बहस अंतिम की स्टेज पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे अस्वीकार कर खारिज किया जावे।<br><br>सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर होता है कि जिस गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से बुलवाए जाने का निवेदन किया गया है, उसकी दिनांक 31.08.2024 को साक्ष्य लेखबद्ध की गयी थी, परंतु अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर मूल स्टांप रजिस्टर उप–महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर से तलब किए जाने हेतु उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा डेफर की गयी थी, जिसके उपरांत उक्त गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। तत्पश्चात् अन्य गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर दिनांक 14.10.202 को न्यायालय द्वारा साक्ष्य | |

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–2
केकड़ी, जिला–अजमेर (राजस्थान)

अभियोजन बंद कर, पत्रावली बयान मुलजिम में नियत की गयी थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के धारा 313 दं.प्र. सं. के तहत बयान मुलजिम लिए जाने के पश्चात् बहस अंतिम की स्टेज पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया। धारा 311 दं.प्र. सं. के अनुसार न्यायालय विचारण के किसी भी प्रकम पर किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य के तौर पर सम्मन कर सकता है, यदि उस व्यक्ति की साक्ष्य/जिरह मामले के न्यायसंगत विनिश्चय हेतु आवश्यक प्रतीत हो। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिस गवाह की तलबी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह प्रकरण का महत्वपूर्ण गवाह है व उसकी साक्ष्य प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक प्रतीत होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत वर्षा गर्ग बनाम मध्यप्रदेश राज्य (डीओजे 08.08.2022) में यह प्रतिपादित किया है कि "the court is vested with a broad and wholesome power, in terms of section 311 of CrPC, to summon and examine or recall or reexamine any material witness at any stage and the closing of prosecution evidence is not an absolute bar."

इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए, उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के प्रकाश में, प्रश्नगत गवाह की प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु सुसंगतता के मद्देनजर, अभियोजन अधिकारी को आगामी पेशी पर गवाह पी.ड–3 गोपाल सिंह को उनके स्तर पर उपस्थित करने हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अन्य कोई अवसर नहीं दिया जायेगा। चूंकि, बचाव पक्ष को जिरह का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। अतः उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाकर अभियोजन अधिकारी को यह आदेश दिए जाते हैं कि वह आगामी पेशी पर अपने स्तर पर उक्त गवाह को उपस्थित रखें। उक्त गवाह के अनुपस्थित रहने पर अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

प्रकरण टारगेटेड केस नं. 6 है। अतः उक्त गवाह को आगामी पेशी पर असालतन उपस्थित रखें। पत्रावली उक्त प्रयोजन हेतु दिनांक 10/12/25 को पेश हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2
केकड़ी, जिला-अजमेर (राजस्थान)